



राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

'निर्वाचन भवन'

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची - 834001

रद्दी कागज निष्पादन हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना

सचिका संख्या:- 02 लेखा 03/2021 रा0नि03आ0.....

राँची, दिनांक.....

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड के कार्यालय में उपलब्ध रद्दी पुस्तक, (नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संबंधी तथा EVM पुस्तिका) एवं अन्य कागज के निष्पादन हेतु वित्तीय रूप से सक्षम व्यक्ति/संस्था/ लघु आकार उद्यम/ झारखण्ड सरकार से निबंधित संवेदक से "as is where is" के आधार पर सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित शर्तों के साथ निविदा आमंत्रित किया जाता है :-

1. निविदादाता फर्म को कागज कारखाना से सम्बद्धता एवं निबंधन संबंधी प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. रद्दी कागज को Shreder मशीन के टुकड़े-टुकड़े निविदादाता द्वारा किया जाएगा।
3. निष्पादन हेतु रखी गई रद्दी पुस्तक एवं अन्य कागज का निरीक्षण (अनुसूची-1) कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे अपराह्न 3:00 बजे तक आयोग कार्यालय में किया जा सकता है।
4. रद्दी कागज-पुस्तक की मात्रा का निर्धारण आयोग के परिसर में ही तौल के उपरान्त होगा।
5. रद्दी सामग्रियों के वजन के लिए काँटा की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी।
6. सफल निविदादाता द्वारा खरीदी गई सामग्रियों की राशि का कुल भुगतान 24 घंटे के अन्दर ही करना होगा।
7. निविदा में क्य हेतु प्रस्तुत की गई दर सभी कर सहित होंगे।
8. सफल निविदादाता द्वारा भुगतान के उपरान्त सभी सामग्रियों का उठाव 7 दिनों के अन्दर कर लेना होगा।
9. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार केवल अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. रद्दी कागज/पुस्तक के उठाव के पश्चात् कागज कारखाना में हस्तगत कराने का प्रमाण-पत्र संबंधित कागज कारखाना से प्राप्त कर उपलब्ध कराने के पश्चात् जमानत राशि वापस की जाएगी।
11. निविदा के आंशिक भाग या पूर्ण निविदा को बिना कारण बताए संशोधित करने या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
12. निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

सीलबन्द निविदा दिनांक 05.10.2021 के 3:00 बजे अपराह्न तक आयोग के कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। सभी निविदा दिनांक 06.10.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे खोले जाएंगे। निविदा के शर्तें आयोग के वेबसाइट www.secjharkhand.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह0/-

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग,

झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक: 973

राँची, दिनांक 22/9/2021